UPHM010011292025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।

पीठासीन अधिकारी– (श्री मनोज कुमार राय), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP2004

सिविल निगरानी सं०–08/2025

रामकिशुन (उम्र 75 वर्ष) पुत्र मूलचन्द्र उर्फ मूल्लू, निवासी ग्राम धंगवा, परगना व तहसील राठ, जिला हमीरपुर, उ०प्र०

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सुलेखा पत्नी वतनलाल,
2. वतनलाल मृतक बालिग पुत्र मसलती,
2/1. धर्मेन्द्र बालिग पुत्र वतनलाल,
2/2. सनी बालिग पुत्र वतनलाल,
2/3. अर्पित बालिग पुत्र वतनलाल,
2/4. अक्षय बालिग पुत्र वतनलाल,

निवासीगण ग्राम धंगवा परगना व तहसील राठ जिला हमीरपुर, उ०प्र०

3. मनोज कुमार बालिग पुत्र गयाप्रसाद,
4. विनोद कुमार बालिग पुत्र गयाप्रसाद,
5. श्रीमती रामकुमारी पत्नी गया प्रसाद

निवासीगण न्यामतपुर तहसील कालपी जिला जलौन, उ०प्र०

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी, निगरानीकर्ता की तरफ से धारा 115 सी०पी०सी० के अन्तर्गत, विद्वान सिविल जज (जू०डि०) राठ, जिला हमीरपुर द्वारा मूलवाद सं०–41/2021 रामकिशुन बनाम श्रीमती सुलेखा आदि में पारित आदेश दिनांकित 24.03.2025 के विरूद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा आवेदिका/विपक्षी सं० 1 सुलेखा गुप्ता का प्रार्थना पत्र 30ग[2] मुव० 500/– रुपये हर्जे पर स्वीकार कर लिया गया था।

2. इस निगरानी के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका/विपक्षी सं० 1 श्रीमती सुलेखा गुप्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 30ग[2] अन्तर्गत आदेश 9 नियम 07 सी०पी०सी० इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उक्त वाद में दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 1 सुलेखा गुप्ता के पति के फौत हो जाने से आवेदिका पति वियोग में सुध–बुध खो चुकी थी एवं उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिस कारण आवेदिका मुकदमें की पैरवी नहीं कर सकी। दिनांक 26.10.2024

(Manoj Kumar Rai)
District Judge, Hamirpur
J.O. Code UP2004

को आवेदिका के पुत्र के बीमार पड़ जाने एवं डाक्टर द्वारा टोटल बेड रेस्ट हेतु कहने के कारण न्यायालय नहीं आ सकी। न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2024 को जवाबदावा का अवसर समाप्त करते हुए वाद की कार्यवाही आवेदिका के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित कर दी। उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त यह प्रेक्षण करते हुए कि, किसी वाद का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष के आधार पर किया जाना चिहिये। उक्त आधार पर आवेदिका का प्रार्थना पत्र 30ग[2] मुव० 500/– रुपये हर्जे पर स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 28.10.2024 के आदेश को अपास्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत सिविल निगरानी दाखिल की गयी है।

4. निगरानीकर्ता की तरफ से आधार निगरानी में कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। निगरानीकर्ता ने अपने रिहायशी मकान व खण्डहर के शान्तिपूर्ण कब्जे व निस्तार में व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा एवं विपक्षीगण सं० 3,4,5 के द्वारा विपक्षी सं० 1 के पक्ष में दिनांक 09.02.2021 को किये गये बैनामे को शून्य घोषित कर मंसूख किये जाने हेतु दायर किया है। मूलवाद सं० 41/2021 के विपक्षी सं० 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया और प्रार्थना पत्र 24क[1] प्रस्तुत किया गया, जिसको न्यायालय द्वारा दिनांकित 21.07.2023 को निर्देशित किया गया कि नियत तिथि तक जवाबदावा प्रस्तुत करें। इसके बाद भी विपक्षी सं० 1 के द्वारा अपना जवाबदावा दाखिल नही किया गया। उसके बाद विचारण न्यायालय विपक्षी सं० 1 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी। विचारण न्यायालय के दिनांक 28.10.2024 के आदेश को रिकाल करने हेतु विपक्षी सं० 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र 30ग[2] अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी० व 151 सी०पी०सी० का प्रस्तुत किया गया, जो विधिक प्राविधानों के विपरीत था, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण का जवाबदावा का अवसर समाप्त किया गया था और वह न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थगन प्रार्थना पत्र देकर उपस्थित थी। आदेश 8 नियम 1 सी०पी०सी० में यह अवधारित है कि विपक्षीगण सम्मन तामील होने के बाद अधिकतम 90 दिवस में अपना जवबादावा प्रस्तुत करेगें। विपक्षी सं० 1 को न्यायालय में उपस्थित होने का समय भी एक वर्ष से अधिक का हो चुका था। उसके बावजूद भी जब विपक्षी सं० 1 के द्वारा जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया। तब विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2024 को उत्तरवादिनी सं० 1 का जवाबदावा का अवसर

(Manoj Kumar Rai)
District Judge, Hamirpur
J.O. Code UP2004

समाप्त किया था। इस तथ्य पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार न करते हुये प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण ढंग से पारित किया है। उक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.03.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विपक्षीगण 1 लगायत 2/4 की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षीगण सं० 3,4 व 5 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है, अतः विपक्षीगण सं० 3,4, व 5 के विरुद्ध मामले की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी। विपक्षीगण 1 लगायत 2/4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी का विरोध करते हुए कथन किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी सं० 1 श्रीमती सुलेखा द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांकित 28.10.2024 को रिकाल करने हेतु प्रार्थना पत्र 30ग[2] प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुव० 500/– रुपये हर्जे पर स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश से विदित होता है कि दौरान मुकदमा विपक्षी सं० 1 के पति की मृत्यु हो गयी थी तथा उसके पश्चात उसका पुत्र बीमार हो गया था। इसी के साथ पत्रावली में जब पक्षकार उपस्थित हो गया हो तो न्यायालय की सदा यही मंशा रही है कि पक्षकारों को सुनकर पत्रावली को गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाय। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा धारा 115 सी०पी०सी० में संशोधन कर धारा 115 की उपधारा (3) के परन्तुक (ii) में यह प्रतिस्थापित किया गया है कि –

> **(ii) आदेश, यदि बरकरार रहने की अनुमति दी गयी हो, उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्पन्न होगी अथवा अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसके विरुद्ध उसे पारित किया गया था।**

इस प्रकार उपरोक्त प्राविधान के आलोक में विपक्षी सं० 1 मामले की आवश्यक पक्षकार है और यदि वह मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकती है तो उसे सुना जाना आवश्यक है और मात्र विलम्ब के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय की राय में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन कर आक्षेपित आदेश दिनांकित

(Manoj Kumar Rai)
District Judge, Hamirpur
J.O. Code UP2004

24.03.2025 पारित किया गया था जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सिविल निगरानी बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत **सिविल निगरानी सं० 08/2025 रामकिशुन बनाम श्रीमती सुलेखा व अन्य** निरस्त की जाती है। तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.03.2025 की पुष्टि की जाती है।

प्रस्तुत सिविल निगरानी की पत्रावली, विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ अभिसिंचित कर, अभिलेख विचारण न्यायालय वापस भेजा जाये।

दिनांक: 07.04.2026

(मनोज कुमार राय)
जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।
(जे०ओ० कोड UP2004)

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 07.04.2026

(मनोज कुमार राय)
जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।
(जे०ओ० कोड UP2004)

(Manoj Kumar Rai)
District Judge, Hamirpur
J.O. Code UP2004

Digitally signed by MANOJ KUMAR RAI
Date: 2026.04.07 16:33:31 IST
Reason: Judgment delivered
Location: District and Sessions Court